न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडगांव /सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 1/2018 प्रार्थना पत्र

1. सरकार जरिये तहसीलदार बडगांव जिला –उदयपुर (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. अम्बावा पिता भेरा भील निवासी –पेली भागल तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर
2. प्यारी पुत्री भेरा भील निवासी –पेली भागल तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर
3. लेरकी पुत्री भेरा भील निवासी –पेली भागल तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर
4. केशी पुत्री भेरा भील निवासी –पेली भागल तहसील – बडगांव जिला– उदयपुर
5. कुशा पुत्री भेरा भील निवासी –पेली भागल तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर
6. चुनकी पत्नी भेरा भील निवासी –पेली भागल तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर
7. वजेराम पिता गोमा भील निवासी– पेली भागल तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर
8. गुलाबराम पिता गोमा भील निवासी– पेली भागल तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर
9. लीला पुत्री गोमा भील निवासी– पेली भागल तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर
10. खुमली पुत्री गोमा भील निवासी– पेली भागल तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर
11. कंकुबाई पत्नि गोमा भील निवासी– पेली भागल तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर
12. जेता पिता गला भील निवासी –पेली भागल तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर
13. दला पिता गला भील निवासी –पेली भागल तहसील – बडगांव जिला – उदयपुर

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :–

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित प्रकरण का अवलोकन किया गया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रतिवादीगण सर्व श्री अम्बावा, प्यारी, लेरकी, केशी, कुशा पिता भेरा चुनकी पत्नी भेरा तथा वजेराम, गुलाबराम, लीला, खुमली पिता गोमा एवं कंकुबाई पत्नी गोमा व जेता दला पिता गला भील निवासी पेली भागल के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। जो ग्राम पेली भागल की हाल खाता संख्या 60 की आराजी संख्या 2477 कुल किता 1 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में यह कथन किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जमाबन्दी सेग्रीगेशन प्रोग्राम के तहत सभी खातेदारो का हिस्सा अलग–अलग किया जाना है इस हेतु ग्राम पेली भागल की जमाबन्दी में खातेदारों के हिस्सों की जांच किये जाने पर पूर्व रोटशन की जमाबन्दी संवत 2056–59 ग्राम मारूवास में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्व पूरूष खातेदार भेरा पिता गल्ला भील व प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के पूर्व पूरूष खातेदार गोमा पिता गांगा व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का नाम बिना किसी विधिक आदेश के उक्त आराजी से सम्बन्धित खाता संख्या 223 में दर्ज कर दिया गया जो बाद के रोटेशन में बनने वाली जमाबन्दीयों में यथावत गलत दर्ज होता रहा। इसी दौरान राजस्व ग्राम मारूवास से टूटकर नव सृजित ग्राम पेली भागल बना जिससे ग्राम मारूवास की उक्त आराजी 2477 कुल किता 1 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा को नव सृजित ग्राम पेली भागल में दर्ज किया गया। जिसमें खातेदारों का अंकन पूर्वानुसार गलत ही दर्ज रहा। बाद में गोमा व भेरा की मृत्यु उपरान्त ग्राम पेली भागल में विरासत नामान्तरण संख्या 28 एवं 29 द्वारा इनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 का नाम जमाबन्दी संवत् 2062–65 में गलत दर्ज हो गया। प्रतिवादीगण 1 से 11 के पूर्व पूरूष खातेदार भेरा व गोमा तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 का नाम बिना किसी विधिक आदेश के दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामान्तरण संख्या 28 व 29 ग्राम पेली भागल की उक्त आराजी से सम्बन्धित प्रतिवादीगणों की गलत प्रविष्ठियों को खारिज करते हुए जमाबन्दी से नाम हटाये जाकर खाता दुरस्त करने हेतु निवेदन किया है। इस बाबत वास्ते प्रमाण प्रार्थी द्वारा दस्तावेज भू–प्रबन्ध जमाबन्दी व बाद की जमाबन्दीयां व नामान्तरण की नकले एवं पटवारी हल्का कठार व भू–अभिलेख निरीक्षक लोसिंग द्वारा इस बाबत की गई जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलबी करवाई जाकर दिनांक 10.01.18 को उनको इस बाबत अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया।

उपस्थित विपक्षीगण द्वारा आज दिनांक 10.01.18 को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। परन्तु उपस्थित पक्षकारान ने पूर्व रिकार्ड अनुसार भुमि खाते रखी जाने का निवेदन किया। गलत नाम या हिस्सा कम ज्यादा दर्ज हुआ है तो शुद्धि किये जाने पर कोई आपत्ति नही की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। जिसमें यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2056—59 की खाता संख्या 223 आराजी नम्बर 2477 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा में गोमा पिता गांगा, भेरा जेता दला पिता गल्ला भील का नाम बिना किसी आज्ञा व अनुमति के जोड दिया गया। जो विधी अनुसार गलत दर्ज हुए है। गलत नाम गोमा पिता गांगा व भेरा पिता गला भील की मृत्यु पश्चात नामान्तरकरण संख्या 28 व 29 विरासत से वारिसान वजेराम गुलाबराम लीला खुमली पिता गोमा कंकुबाई पत्नी गोमा व अम्बावा प्यारी लेरकी केशी कुशा पिता भेरा चुनकी पत्नी भेरा का नाम भी गलत दर्ज कर दिया गया। जो विधी अनुरूप सही नहीं है। जिससे न्यायालय का निष्कर्ष है कि ग्राम पेली भागल की आराजी नम्बर 2477 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा में से विपक्षीगण के गलत दर्ज नाम खाते में से तर्क किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी तहसीलदार बडगांव का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू— राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है । एवं नामान्तरकरण संख्या 28 व 29 में विपक्षीगण की आराजी संख्या 2477 से सम्बन्धित प्रविष्ठीयों को निरस्त किया जाता है। एवं उक्त खाते से विपक्षीगणों का गलत नाम हटाया जाकर विधी अनुरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नवीन इन्द्राज नन्दा रूपा हिरा भेरा पिता माना टमू पत्नी स्वर्गीय माना 1/6 कन्नीबाई पत्नी चुना उदा पन्ना अमरा अम्बावा पिता चुना 1/6 अम्बावा नोजा हमेरा पिता नाना कन्नी पत्नी स्वर्गीय नाना 1/6 खेमा दोला खमाण गमाना पिता केशा 1/2 हि. भील सा. देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार बडगांव हाल रेकर्ड एवं सेटलमेन्ट के पूर्व के रेकर्ड की पूर्ण जांच करके ही रेकर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

कमर चौधरी
(आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बडगांव
जिला उदयपुर (राज.)